

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेडकर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर

क्रमांक : एफ 9(4)(31)उ.मै.छा./सान्याअवि/2020-21/ 55691

दिनांक : 26-11-2020

आदेश

महामारी कोविड-19 बीमारी के फलस्वरूप विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के भौतिक संचालन, विश्वविद्यालयों द्वारा विद्यार्थी को आगामी कक्षा में प्रौन्नत किये जाने के प्रमाण पत्र जारी नहीं किये जाने एवं शिक्षण संस्थानों की मान्यता/सम्बद्धता जारी नहीं होने के कारण विभाग के पूर्व समसंख्यक आदेश क्रमांक 48300 दिनांक 30.09.2020 द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए राजस्थान के मूल निवासियों के लिए अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति/विशेष समूह योजना (पूर्व में विशेष पिछडा वर्ग)/अन्य पिछडा वर्ग/आर्थिक पिछडा वर्ग/विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु/मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में राज्य की राजकीय/ निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं राज्य के बाहर की राजकीय,राष्ट्रीय स्तर एवं मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में प्रवेशित/अध्ययनरत शिक्षण संस्थाओं (कक्षा 11 एवं 12 के केवल राजकीय शिक्षण संस्थान) के विद्यार्थियों द्वारा वेबसाईट www.sjmsnew.Rajasthan.gov.in/scholarship/ के माध्यम से पेपरलेस आवेदन पत्र ऑनलाइन पंजीकरण करने, आवेदन पत्र भरने के लिए पूर्व में निर्धारित अन्तिम तिथि में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

क्र.सं	विषय वस्तु	पूर्व में निर्धारित अन्तिम तिथि	नवीन निर्धारित अन्तिम तिथि
1	उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु विद्यार्थियों के द्वारा पंजीकरण कर ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि	30 नवम्बर 2020	31 जनवरी 2021

उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति संबंधी विस्तृत जानकारी www.sjmsnew.Rajasthan.gov.in/scholarship/ पर देखी जा सकती है एवं विभागीय जिला कार्यालय में व्यक्तिशः एवं दूरभाष न. 1800-180-6127 पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।


निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव